तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/1/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड व दस्तावेज व नायब तहसीलदार/मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपरोक्त संक्षिप्त में इस उपरान्त है कि प्रार्थीगण के माननीय हाई कोर्ट के आदेश दिनांक 23/4/2021 की अवहेलना के लिए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया जाकर वादग्रस्त आपत्तिजनक खसरा नं० 6485, 6486, 6486/9448 कास्तकारी पट्टा धारक व तहसील करौली में प्रार्थीगण द्वारा बिना उनी सक्षम निर्माण को प्रार्थीगण के खर्चे से हटाने व तुड़वाने जाने के बाद निर्णय किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकार का मनन किया गया। मौका कमिश्नर/तहसीलदार तहसील करौली के मात्र रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर दखल वही काश्त हो रही है एवं कुछ भूमि मौके पर खाली है। अतः मौका कमिश्नर/तहसीलदार करौली की रिपोर्ट के अनुसार निर्माण होना साबित नहीं होता है। अतः उनका पक्ष प्रति सामदान विरुद्ध प्रार्थीगण [illegible] होता है। पत्रावली देखने से [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश [illegible] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:05:57 IST
Reason: SelfAttested